

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल
अन्तिम रिपोर्ट सं० 226/2022,
राज्य जरिये शीशाराम बनाम अज्ञात

दिनांक 12.12.2022

पत्रावली पेश। वाद पुकारा गया। बार –बार पुकारने पर भी कोई उपस्थित नहीं है। वादी मुकदमा पर नोटिस की तामीली होने के बाबजूद और वादी मुकदमा को अन्तिम रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय व अवसर देने के बाबजूद न तो वादी मुकदमा व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय उपस्थित आया है और न ही उसकी ओर से अन्तिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

ऐसी स्थिति में संबंधित थाना नई टिहरी जिला टिहरी गढ़वाल की ओर से मु०अ०सं० 40/2021 के बाबत प्रस्तुत की गयी अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार बर्मन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टिहरी गढ़वाल।